न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट टीकरी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/11/17 . निर्णय दिनांक : 14.05.2018

उनवान

1. मलकीत सिंह पुत्र केहरसिंह माता गुरदीपकौर
2. पलवन्दिर कौर पुत्री केहरसिंह माता गुरदीप कौर जातियान रायसिख निवासियान गांव जेतपुर बदरपुर साउथ देहली हाल काश्तकार ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

......................अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि हाल खसरा नम्बर 441 रकबा 0.39, 443 रकबा 0.33 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में विवादित आराजी का 1/7 हिस्सा जर्ये विरासत नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 21.12.2010 को प्रार्थी की माता गुरदीप कौर के स्थान पर दलीप कौर पुत्रियान लटकन सिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम गुरदीप कौर पुत्री लटकनसिंह है लेकिन इन्तकाल दर्ज करते समय ही राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज हो गया। सही नाम की दुरूस्ती की जावें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 441 रकबा 0.39, 443 रकबा 0.33 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में दलीप कौर पुत्री लटकन सिंह के स्थान पर गुरदीप कौर पुत्री लटकनसिंह दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाया जाने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टीकरी में दिनांक 14.05.2018 को पेश हुई। ग्राम पंचायत टीकरी कैम्प कोर्ट / शिविर में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टीकरी में खसरा नम्बर 441 रकबा 0.39, 443 रकबा 0.33 जगेन्द्रसिंह, जंगीरसिंह, अवतारसिंह पिता लटकनसिंह, लडकोबाई, रामकौर, जोगेन्द्रोबाई, दलीपकौर पुत्रीयान लटकनसिंह स.भाग रायसिख सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी गुरदीपकौर पत्नी केहरसिंह का पहचान पत्र बना हुआ है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी गुरदीपकौर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

ही राजस्व कर्मचारियो की गलती से प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज हो

पत्नी केहरसिंह का बना हुआ है। मुताबिक पहचान पत्र दलीपकौर पुत्री लटकनसिंह के बजाय गुरदीपकौर पुत्री लटकनसिंह किया जाना उचित है।

ग्राम पंचायत टीकरी में जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री लटकनसिंह जाति रायसिख निवासी टीकरी ने कथन कर अवगत कराया कि हम अपने पिता श्री लटकनसिंह के सात पुत्र, पुत्रिया है। जिनके नाम जोगेन्द्रसिंह, जंगीरसिंह, अवतारसिंह पुत्रांन तथा लडकोबाई, रामकौर, जोगेन्द्रकौर, दलीपकौर पुत्रीयान है। दलीपकौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह की शादी ग्राम गढतेस्की (नगर) में केहरसिंह के साथ हो गई है। वहां पर दलीपकौर का नाम गुरदीपकौर रख लिया गया है। उसी के अनुसार उसके दस्तावेजो में गुरदीप कौर हो गया है। लेकिन ग्राम टीकरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 441, 443 में नाम दलीपकौर है। चूंकि दलीपकौर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र उसके ससुराल के ग्राम के अनुसार गुरदीपकौर पत्नी केहरसिंह के नाम बनवाया गया है। लेकिन ग्राम टीकरी में दलीपकौर पुत्री लटकनसिंह है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थीया गुरदीपकौश्र के वारिसों के द्वारा ग्राम टीकरी में नाम दलीपकौर के बजाय गुरदीपकौर कराना चाहते है। जिसमें मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आधारकार्ड व मृत्यु प्रमाण, पहचान पत्र जैसे दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त करना चाहता है। जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 441 रकबा 0.39, 443 रकबा 0.33 हैक्ट0 किता 2 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके ग्राम टीकरी तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में दलीप कौर पुत्री लटकन सिंह के स्थान पर गुरदीप कौर पुत्री लटकनसिंह दर्ज किया जावें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत टीकरी में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

ही राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज हो